

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला-बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री भवानीसिंह (आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या : 219/2023

क्रमांक/आवेदन/2024/

प्रार्थीगण

नसीरखान पुत्र मुरीदखान
जाति मुसलमान, निवासी धीरजी की ढाणी
तहसील शिव, जिला बाड़मेर
वगैरा (04)

दिनांक :


विप्रार्थीगण

मेरदीनखान पुत्र पीरेखान
वगैरा (29)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

--: आदेश :-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर को प्रार्थीगण की मौजा धीरजी की ढाणी, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 346 रकबा 6.5802 हैक्टेयर एवं मौजा करनगढ, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1007/305 रकबा 6.2079 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्ड्स रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवाने हेतु 500/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौके पर पक्षकारान् के मध्य कब्जा को लेकर विवाद होने की स्थिति में नेखमबंदी नहीं की जावे। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। निरीक्षक भू-अभिलेख बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे।



उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला-बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2024/

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार शिव को सूचनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी राजबेरा को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थी नसीरखान पुत्र मुरीदखान वगैरा (04) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण मेरदीनखान पुत्र पीरेखान वगैरा (29) को सूचनार्थ।

दिनांक :


उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला-बाड़मेर